

Ref. 994/रातो-355/2024

Date - 06-11-24

To,  
The Registrar General,  
Hon'ble, National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
Faridkot House, Copernicus Marg,  
New Delhi- 110001 .


Sub: Regarding submission of Response/Compliance Report on behalf of District Magistrate, Gorakhpur in compliance to the order dated 26.09.2024 of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of Original Application No. 971/2024, Prajjawal Chand Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on 26.09.2024 in the matter of O.A. No. 971/2024 Prajjawal Chand Versus State of Uttar Pradesh. The Response/compliance report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.


Enclosures: As above

Sincerely Yours,

  
(Krishna Karunesh)  
District Magistrate,  
Gorakhpur

Copy to: Following for information and further necessary action.

1. Member Secretary, U.P.P.C.B., Lucknow.
2. Shri Pradeep Misra Advocate, Hon'ble NGT, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.
3. CEO-6, U.P.P.C.B., Lucknow.
4. CLO, U.P.P.C.B., Lucknow.

  
District Magistrate  
Gorakhpur

**Joint Inspection Report of M/s Integrated Pollution Committee**  
**in the matter of**  
**Prajawal Chand Vs State of UP**  
**in**  
**Original Application No. 971/2024**

**1. Background**

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 26.09.2024 in the matter of Prajjawal Chand Vs State of UP (Original Application No. 971 /2024) directed for factual report of M/s Integrated Pollution Committee, Vill. - Baghagada, Taal- Navartaal, Tappa Haveli, Pargana Bhauvapaar, Tehsil- Sadar, Distt. - Gorakhpur. Relevant para of Hon'ble NGT order is as under: -

*"....4. In these circumstances, before proceeding further in the matter we find it appropriate to obtain a factual report for which we constitute a Joint Committee comprising Uttar Pradesh State Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and District Magistrate, Gorakhpur.*

*5. District Magistrate, Gorakhpur shall be the Nodal Authority for coordination and compliance.*

*6. Above Committee shall collect relevant information, particularly on the aspects which we have indicated above, and submit a factual report within one month.*

*7. List for further consideration on 07.11.2024."*

Copy of the reference NGT order is annexed as **annexure - 1**.

In compliance of NGT order, joint inspection of M/s Integrated Pollution Committee (Hereinafter referred as "The facility") was carried out on October 28, 2024 by following officials-

- 1) Shri. Anjani Kumar, Additional District Magistrate, Gorakhpur
- 2) Shri. Runa Oraon, Scientist-E, CPCB, Regional Directorate, Lucknow
- 3) Shri. Ram Milan Verma, SA, UPPCB, Regional Office, Gorakhpur

Salient observation and recommendation as per reference NGT order based on site inspection and available records are as under:



## 2. Observations:

- a) The facility is having incinerator with capacity 100 Kg/Hr., Autoclave-200 Kg/Batch and Shredder-50 Kg/Hr for bio-medical waste treatment. During visit, facility was not operational and no bio-medical waste was found stored at the facility.
- b) Incinerator of the facility is equipped with automatic feeding system with dual chamber. Residence time of flue gas in the Secondary chamber is 03 second. Emission from the incinerator is vented through stack of height approx. 30 m followed by Wet Scrubber and Venturi scrubber as APCD.OCEMS has been installed at incinerator stack and it is informed that it is connected with CPCB server.
- c) The facility has installed ETP, which comprises of Equalization Tank, Bio-logical Tank, Settling Tank, Sand Filter, Activated Carbon Filter. During inspection, ETP was not operation and no effluent received at ETP.

### Siting Criteria:

- d) The facility was granted Consent To Establish (CTE) on 10.07.2013 with validity of two years. The CTE was granted to the facility based on field inspection by official of UPPCB on 20.02.2013. As per report, nearest residential area is approx. 500 m. Copy of site inspection report and N.O.C. issued by U.P.P.C.B. is annexed as **Annexure-2 & 3**. During visit, residential area was observed within 500 m from the location of CBWTF plant.
- e) Presently, Bio-medical waste generated from HCFs (Health Care Facilities) of Gorakhpur City is treated in 02 (two) CBWTFs (Common Bio-medical Waste Treatment Facilities). One CBWTF (M/s AV Bio-medical Services) is located in Maharaj Ganj (approx. 75 km from the facility) and another CBWTF (M/s Medical Pollution Control Committee) located at Khalilabad (located approx. 32 km from the facility).
- f) It is informed by the facility representative; presently the facility is having 22 member HCFs. Bio-medical waste is sent to its sister concern CBWTF (M/s Medical Pollution Control Committee) located at Khalilabad for treatment.
- g) The location of facility was surveyed by the Lekhpal for the current status of land and residential area. Report of Lekhpal is annexed as **Annexure-4**. That as per point no. (i) of Lekhpal Report, Owner of Gata No. 576 & 577 is Shri Awadh Raj (Land Owner) S/o Durpat has made land agreement with Shri Anup Kumar Pandey on 16.01.2014 for ten years, which has completed on 15.01.2024. Further, Owner of land has made agreement with Shri Arun Kumar Awasthi, S/o Shri Shrikant Awasthi. Agreement has been made on 02.02.2024, which is valid for 10 years.

- h) It is also informed that four people (Sh. Anup Pandey, Sh. Arun Awasthi, Sh. Arun Mishra and Dr. Vinay Verma) have made representation to the Regional Officer, UPPCB, Gorakhpur to establish their ownership towards this CBWTF. Hence, the ownership of this CBWTF is seems disputed.

**Consent to Operate and compliance status:**

- i) Authorization under the Bio-medical Waste (Management & Handling) Rules, 1998 (as amended Rules, 2000) was granted to the facility on 29.04.2015, which was valid for one year.
- j) The facility has been installed by project proponent after obtaining NOC. Consent To Operate (CTO) under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) was granted to the facility on 06.10.2016, which was valid from 24.09.2016 to 31.12.2017. Consent To Operate (CTO) under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 was granted on 01.10.2016, which was valid from 24.10.2016 to 31.12.2017. Copy of CTO are annexed as **Annexure-5 & 6**.
- k) The present status of CCA & authorization applied and granted by the facility is as below:

	Applied on	Granted on	Validity	
			From	Till
CCA	07.07.2023	26.07.2023	07.07.2023	31.12.2023
Authorization	27.05.2023	27.07.2023	27.07.2023	26.07.2028

- l) The facility applied for CCA (Consolidated Consent to Operate and Authorization) on 28.05.2023, which was refused by UPPCB on 05.07.2023 for non-compliance of environmental norms. Copy of refusal letter issued by UPPCB is annexed as **annexure-7**.
- m) The facility again applied for CCA on 07.07.2023 and CCA was granted on 26.07.2023, which was valid from 07.07.2023 to 31.12.2023. CCA was granted with bank guarantee of Rs 02 lacs. Compliance status of previous CCA is annexed as **Annexure-8**. Presently, the facility has not valid CCA.
- n) The facility has again applied for CCA on 14/12/2023, 24/03/2024 and 08/06/2024 to UPPCB. But, UPPCB has rejected the CCA for non-compliance of environmental norms, as per provision of Bio-medical Waste Management Rules, 2016 & CPCB guidelines. Copy of the rejection letters along with reason of rejections are annexed as **Annexure- 9**.
- o) The facility has been granted CTO only from 24.09.2016 to 31.12.2017 and 07.07.2023 to 31.12.2023. UPPCB is continuously refusing CCA application of the facility due to non-

compliance of environmental norms, provision of the Bio-medical waste Management Rules, 2016 & CPCB guidelines.




- p) The facility has been granted Authorization under the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 on 27.07.2023, which is valid till 26.07.2028.
- q) UPPCB has been issued show cause notice to the facility on dated 02.07.2024. Copy of show cause notice is annexed as **Annexure-10**.

**3. Environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006**

- r) The facility was granted CTE on 10.07.2013 and Environmental Clearance (EC) requirement for the Bio-Medical Waste Treatment Facility was included in EIA notification S.O.1142(E). -Dated 17.04.2015. Hence, EC is not obtained by the facility. Copy of EIA notification dated 17.04.2015 is annexed as **Annexure-11**.

**4. Conclusion and Recommendation:**

It is evident from above observations; the facility has not valid CCA. UPPCB is rejecting CCA applications of the facility due to non-compliance of environmental norms, provision of the Bio-medical waste Management Rules, 2016 & CPCB guidelines. The ownership of the facility is also ~~seems~~ <sup>seems</sup> disputed. UPPCB may take necessary action on show cause notice against the facility as per law.

Committee Member	Signature
Shri. Anjani Kumar, Additional District Magistrate, Gorakhpur	
Shri. Runa Oraon, Scientist-E, CPCB, Regional Directorate, Lucknow	
Shri. Ram Milan Verma, SA, UPPCB, Regional Office, Gorakhpur	
<b>Date: 05.11.2024</b>	

Item No.03

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.971/2024

Prajjawal Chand

...Applicant

Versus

State of UP

...Respondent

Date of hearing: 26.09.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant(s): None

Respondents:

**ORDER**

1. Prajjwal Chand, son of Om Prakash Chand resident of village Chilawa, District Gorakhpur has sent this letter petition dated 06.02.2023 which has been registered as Original Application (hereinafter referred to 'OA') under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and Others, (2022) 13 SCC 401.***

2. Complainant has stated that M/s Integrated Pollution Committee is operating a "Common Medical Bio-waste Treatment Facility (hereinafter referred to as '**CMBTF**') and it has been wrongly granted Consent to Operate (hereinafter referred '**CTO**') on 26.07.2023 though just about 20 days back, on 05.07. 2023, application for grant of CTO was already rejected. It is also said that the said CMWTF is not meeting siting criteria and even CTO has not been granted to the Facility but to

one Arun Awasthi who is a close stranger and not competent to have been granted CTO to run the above Facility.

3. Documents appended to the complaint show that facility was also not found complying with the conditions of consent. Further, it is also not clear as to whether facility has obtained Environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time.

4. In these circumstances, before proceeding further in the matter we find it appropriate to obtain a factual report for which we constitute a Joint Committee comprising Uttar Pradesh State Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and District Magistrate, Gorakhpur.

5. District Magistrate, Gorakhpur shall be the Nodal Authority for co-ordination and compliance.

6. Above Committee shall collect relevant information, particularly on the aspects which we have indicated above, and submit a factual report within one month.

7. List for further consideration on 07.11.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

September 26, 2024  
Original Application No.971/2024  
M

प्रदूषण रोकिए !

तार पर्यावरण

Gram : Paryavaran

पर्यावरण बचाइए !!

दूरभाष एवं फैक्स : 0551-2273937

Phone &amp; Fax : 0551-2273937



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

Ref. No.

1849/N.O.C-37/2013/2

दिनांक

Dated

22-2-2013

सेवा में,

डा० पी० सी० शर्मा,  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पिकप भवन, गोमती नगर  
लखनऊ।

विषय:

मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी, ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर द्वारा कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी की स्थापना हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक आवेदन पत्र के सम्बंध में निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संस्था द्वारा चयनित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय में कार्यरत श्री अयोध्या प्रसाद, वैज्ञानिक सहायक एवं श्री राम मिलन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक द्वारा दिनांक 20.2.2013 को किया गया। संस्था द्वारा चयनित स्थल की निरीक्षण आख्या, संस्था द्वारा प्रेषित अनापत्ति आवेदन पत्र, स्थापना से पूर्व सहनति शुल्क (ड्राफ्ट सं० 025933, दिनांक 07.2.2013, रू० 3,000.00) एवं आवेदन पत्र के साथ प्रेषित अन्य संलग्नकों सहित पत्र के साथ संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। आख्यानुसार संस्था द्वारा कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी की स्थापना ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर के भूमि आराजी सं० 576 एवं 577 पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा अस्पताल एवं नर्सिंग होम से बायोमेडिकल वेस्ट का संग्रहण, परिवहन, उपचार एवं निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी के रूप में डबल चैम्बरड इन्सीनरेटर (आटोमेटिक कन्ट्रोल्ड आपरेशन) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इन्सीनरेटर के प्राइमरी चैम्बर का तापक्रम 800 ± 50 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं सेकेण्डरी चैम्बर का तापक्रम 1050 ± 50 डिग्री सेन्टीग्रेट होगा, ऐसा प्रस्ताव में दिया गया है। इन्सीनरेटर की क्षमता 100 किग्रा०/घण्टा होगा। उक्त के अतिरिक्त संस्था द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 200 किलोग्राम प्रति बैच क्षमता का आटोक्लेव एवं 50 किलोग्राम प्रतिघण्टा क्षमता का श्रेडर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में आटोक्लेव, वेन्चुरी स्कबर एवं फ्लोर वाशिंग आदि में किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का विस्तृत विवरण प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न है। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के पश्चात् से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह को

.....2/-

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर-273 008

MAHADEO JHARKHANDI, AVAS VIKAS COLONY, DEORIA ROAD, KUNRAGHAT, GORAKHPUR-273 008

E-mail : rogorakhpur@uppcb.com

संस्था परिसर के अन्दर गार्डनिंग हेतु प्रयोग किया जायेगा, ऐसा संस्था द्वारा प्रस्तावित है। संस्था द्वारा दी गयी सूचनानुसार संस्था परिसर से बाहर किसी भी प्रकार से उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जायेगा। संस्था में अनवरत विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु 50केवी0ए0एक अदद डीजल जनरेटर सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डीजल जनरेटर सेट के एक्झास्ट पर संलग्न चिमनी की उँचाई भवन छत से 1.5 मीटर उँची रखी जायेगी, डी0जी0सेट में ईंधन के रूप में लगभग 5.0 लीटर प्रतिघण्टा की दर से एच0 एस0 डी0 का प्रयोग किया जायेगा। डी0 जी0 सेट के संचालन से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कैनोपी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इन्सीनरेटर में ईंधन के रूप में लगभग 25लीटर प्रतिघण्टा की दर से एच0एस0डी0 का प्रयोग किया जायेगा। इन्सीनरेटर में बायो मेडिकल वेस्ट एवं एच0एस0डी0 के जलने के फलस्वरूप जनित गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में साइक्लोन टाईप डस्ट कलेक्टर, ड्रापलेट सेपरेटर एवं वेन्चुरी स्कवर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा इन्सीनरेटर से जनित गैसीय उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30.0 मीटर उँची चिमनी स्थापित किया जायेगा। आटोक्लेव में ईंधन के रूप में 5.0लीटर प्रतिघण्टा की दर से एच0एस0डी0 का प्रयोग किया जायेगा। इस क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बायो मेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेन्ट हेतु मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (पूर्व नाम मेसर्स एस0एन0जी0 मर्कन्टाइल प्रा0 लि0) भूखण्ड सं0 डी-33, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, खलीलाबाद, संतकबीरनगर नामक फ़ैसिलिटी स्थापित एवं कार्यरत है। संस्था द्वारा चयनित स्थल पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा आख्या में दिये गये विस्तृत विवरण को दृष्टिगत रखते हुए संस्था द्वारा प्रेषित अनापत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्ध में बोर्ड नीति के अनुसार निर्णय दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भयदीप  
22/2/13

(ई0 कौशल किशोर)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (अभियांत्रिक)

o/c  
Rai  
Ajay

मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी, ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, जयपुर-गोरखपुर द्वारा कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की स्थापना हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक आवेदन पत्र के सम्बंध में स्थल सम्बंधी निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित संस्था द्वारा कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 20.2.2013 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री अनूप पाण्डेय, अध्यक्ष संस्था प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। स्थल सम्बंधी विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. संस्था द्वारा कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की स्थापना गोरखपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-29 पर गोरखपुर से लगभग 7.0 किलोमीटर की दूरी पर बाघागाड़ा-जरलही लिंक मार्ग पर बाघागाड़ा से लगभग 2.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर के भूमि आराजी सं० 576 एवं 577 पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि (आराजी सं० 576 एवं 577, कुल क्षेत्रफल 1.10एकड़) पर बायो मेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल हेतु संस्था को श्री अवध राज यादव, पुत्र-श्री दुरपत यादव, निवासी-तालनवर, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर द्वारा दिनांक 23.1.2013 से 10 वर्ष की अवधि हेतु लीज पर दी गयी है। धारा-143 ज.वि. अधि. के अंतर्गत उप जिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर द्वारा उक्त भूमि अकृषिक घोषित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।
2. प्रस्तावित स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-तालनवर, अनुमानित आबादी-500 तथा लगभग 2.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-मड़वरिया कुआं, अनुमानित आबादी-300 स्थित है। पूरब दिशा में ही लगभग 4.0 किलोमीटर की दूरी पर आमी नदी प्रवाहित होती है।
3. प्रस्तावित स्थल के पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-हरहरवा, अनुमानित आबादी-900 तथा लगभग 2.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-खपड़हवा, अनुमानित आबादी-700 स्थित है।
4. प्रस्तावित स्थल के दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-बरडाड़ चौराहा, अनुमानित आबादी-2000 तथा लगभग 1.8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-महुआडाबर, अनुमानित आबादी-2500 स्थित है। दक्षिण दिशा में ही लगभग 6.0 किलोमीटर की दूरी पर आमी नदी प्रवाहित होती है।
5. प्रस्तावित स्थल के उत्तर दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-बाघागाड़ा, अनुमानित आबादी-5000 तथा लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-एकला बाजार, अनुमानित आबादी-1500 स्थित है। उत्तर दिशा में ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर एस०एस० कान्वेन्ट स्कूल, बाघागाड़ा स्थित है।
6. प्रस्तावित स्थल पूरब-उत्तर दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-जीतपुर(छोटा टोला), अनुमानित आबादी-700 तथा लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-जीतपुर(बड़ा टोला) अनुमानित आबादी-800 स्थित है।
7. प्रस्तावित स्थल के पश्चिम-दक्षिण दिशा में लगभग 1.7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-भीटी, अनुमानित आबादी-5000 तथा लगभग 3.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-भगवानपुर, अनुमानित आबादी-2000 स्थित है।
8. प्रस्तावित स्थल के दक्षिण-पूरब दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-तालनवर (ललता का टोला) अनुमानित आबादी-300 स्थित है।
9. संस्था द्वारा अस्पताल एवं नर्सिंग होम से बायोमेडिकल वेस्ट का संग्रहण, परिवहन, उपचार एवं निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के रूप में डबल चैम्बरड इन्सीनरेटर(आटोमेटिक कन्ट्रोल्ड आपरेशन)की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इन्सीनरेटर के प्राइमरी चैम्बर का तापक्रम 800  $\pm$  50 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं सेकेण्डरी चैम्बर का तापक्रम 1050  $\pm$  50 डिग्री सेन्टीग्रेट होगा, ऐसा प्रस्ताव में दिया गया है। इन्सीनरेटर की क्षमता 100 किग्रा०/घण्टा होगा। उक्त के अतिरिक्त संस्था द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 200 किलोग्राम प्रति बैच क्षमता का आटोकलेव एवं 50 किलोग्राम प्रतिघण्टा क्षमता का श्रेडर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
10. संस्था द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में आटोकलेव, वेन्चुरी स्कबर एवं फ्लोर वाशिंग आदि में किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का विस्तृत विवरण प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न है। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के पश्चात् से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह को संस्था परिसर के अन्दर गार्डनिंग हेतु प्रयोग किया जायेगा, ऐसा संस्था द्वारा प्रस्तावित है। संस्था द्वारा दी गयी सूचनानुसार संस्था परिसर से बाहर किसी भी प्रकार से उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जायेगा।

11. संस्था में अनवरत विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु 50कै0वी0ए0एक अदद डीजल जनरेटर सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डीजल जनरेटर सेट के एक्झास्ट पर संलग्न चिमनी की उंचाई भवन छत से 1.5 मीटर उंची रखी जायेगी, डी0जी0सेट में ईंधन के रूप में लगभग 5.0 लीटर प्रतिघण्टा की दर से एच0 एस0 डी0 का प्रयोग किया जायेगा। डी0 जी0 सेट के संचालन से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कैनोपी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
12. इन्सीनरेटर में ईंधन मे रूप में लगभग 25लीटर प्रतिघण्टा की दर से एच0एस0डी0 का प्रयोग किया जायेगा। इन्सीनरेटर में बायो मेडिकल वेस्ट एवं एच0एस0डी0 के जलने के फलस्वरूप जनित गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में साइक्लोन टाईप डस्ट कलेक्टर, ड्रापलेट सेपरेटर एवं वेन्चुरी स्कबर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इन्सीनरेटर से जनित गैसीय उत्सर्जन को भूतल से लगभग 30.0 मीटर उंची चिमनी के माध्यम से वायुमण्डल में विसर्जित किया जायेगा। आटोक्लेव में ईंधन के रूप में 5.0लीटर प्रतिघण्टा की दर से एच0एस0डी0 का प्रयोग किया जायेगा।
13. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ उप जिलाधिकारी-सदर, गोरखपुर द्वारा 143 ज.वि.अधि. के अंतर्गत भू-प्रयोग सम्बन्धी आदेश, जमीन सम्बन्धी खतौनी, सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र, संस्था का बाईलाज एवं मेमोरेन्डम, लोकेशन मैप, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिला उद्योग केन्द्र, गोरखपुर द्वारा जारी एक्नालेजमेन्ट एवं ले आउट प्लान आदि जमा किया गया है।
14. संस्था द्वारा प्रस्तावित कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी के परियोजना की कुल लागत रू0 97.27 लाख है, जिसके अनुसार संस्था द्वारा स्थापना पूर्व सहमति शुल्क के रूप में रू0 3,000.00 जमा किया गया है।
15. इस क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बायो मेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेन्ट हेतु मेसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (पूर्व नाम मेसर्स एस0एन0जी0 मर्कन्टाइल प्रा0 लि0) भूखण्ड सं0 डी-33, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, खलीलाबाद, संतकबीरनगर नामक फैसिलिटी स्थापित एवं कार्यरत है।

संस्था द्वारा चयनित स्थल पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए संस्था द्वारा प्रेषित अनापत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्ध में बोर्ड नीति के अनुसार निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

( राम मिलन वर्मा )  
वैज्ञानिक सहायक

(अयोध्या प्रसाद)  
वैज्ञानिक सहायक

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी / मुख्य पर्यावरण अधिकारी (अभियांत्रिक)

22/2/13

22/2/13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
"पिकप भवन" तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन

828  
19-2-13

19/2/13

नोट :

1. सभी विवरण संलग्नक परिशिष्टियां व योजनायें तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जायें।
2. अपूर्ण आवेदन अस्वीकार किया जायेगा।
3. बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये स्थल विकास अथवा उद्योग निर्माण सम्बन्धी कोई कार्य न किया जाये। ऐसा करना आवेदक के अपने दायित्व पर होगा तथा जनहित के विरुद्ध होगा।

आवेदन

सेवा में,

सदस्य सचिव

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

मैं/हम उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्व श्री उ.डी.शेडेड

पान्थगान कमेटी, बाधागादा गोरखपुर नामक प्रस्तावित उद्योग जिसके स्वामी

सर्व श्री/श्रीमती अरुण पांडेय हैं जीव चिकित्सा उपकरण का

निस्तारण के प्रस्तावित उत्पादन जीव चिकित्सा उपकरण का प्रतिदिन है जिसके लिये मुख्य कच्चे माल --

100 कि० ग्रा० प्रति घंटा प्रतिदिन की खपत होगी तथा प्रस्तावित स्थापना स्थल गाँव - बाधागादा

तप्पा-दहली, पदगाना - अरुणपुर, तहसील - लखनऊ, जिला - गोरखपुर के अखंडा सं० 576 एवं

577 प्रद. हैं, के लिये आवेदन प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि प्रस्तुत सूचना में विवरण संलग्नक योजनायें आदि मेरी, हमारी जानकारी के अनुसार सत्य हैं तथा योजना पर प्रस्तावों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
2. मैं/हम एतद्वारा प्रत्याभूति (गारन्टी करता हूँ/करते हैं कि प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण उपायों से अन्तिम उत्प्रवाह व उत्सर्जन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही निस्तारित होगा तथा प्रदूषण नियंत्रण यंत्र प्रस्तावों के अनुसार स्थापित एवं संचालित कर ही परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा)
3. मैं/हम स्थल विकास कार्य दिनांक अप्रैल 2013 से प्रारम्भ/करेंगे तथा औद्योगिक सयंत्र का संचालन दिनांक अप्रैल 2013 को किया जाना संभावित है।
4. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सैडिक टैंक एवं स्लोरपिट द्वारा उत्प्रवाह के स्थित अन्तिम निस्तारण बिन्दु तक तथा औद्योगिक उत्पाद को शुद्धिकृत यंत्र के माध्यम से निस्तारण बिन्दु तक प्रवाहित होने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। शुद्धिकृत करने के उपरान्त उद्योग परिसर में आउटगोइंग दूध उद्योग में लम्बा पारण
5. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि जल अधिनियम की धारा 25 व वायु अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति आवेदन परीक्षण उत्पादन की संभावित दिनांक अप्रैल 2013 से कम से कम ----- माह पूर्व प्रस्तुत करूंगा/करेंगे तथा उपकर अधिनियम 1977 का वांछित अनुपालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इन अधिनियमों के प्रावधानों की जानकारी कर ली गयी है।

अ

6. मैं/हम मानता हूँ/ मानते हैं कि आवेदन प्रस्ताव स्तर पर ही किया जाता है तथा यदि स्थल अनुमोदित नहीं किया जाता है तो बोर्ड का निर्णय मान्य होगा।
7. मैं/हम वचन देता हूँ/ देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के वैधानिक प्राविधानों का पालन करूंगा/करेंगे।

दिनांक: 19.02.2013

*A. P. Singh*

आवेदक अनूप पाण्डेय

पद नाम अध्यक्ष / निदेशक

शुल्क विवरण-

डाफ्ट संख्या 025933

उद्योग का नाम इन्डीओरेड पाल्सुलन कमेटी

डाफ्ट दिनांक 07-02-2013

गाँव - बाधागाटा, तहसील - इवेली, परगना - भउआपार

रुपया 3000/-

तहसील - सहरा जिला - गोरखपुर (30 प्र०)

### परिशिष्ट

1. स्थल योजना तथा 2 किलोमीटर के व्यास में स्थित वन, आबादी, सड़क, रेलवे आदि का विवरण।
2. संयंत्र का ले आउट प्लान जिसमें प्रस्तावित चिमनी, नाला हरित पट्टी, ठोस अवशिष्ट का निस्तारण स्थल तथा शुद्धिकरण संयंत्र आदि को दर्शाया गया है।
3. जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना एवं समयबद्ध कार्यक्रम।
4. उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन/भारत सरकार का पंजीयन पत्र।
5. उत्पादन प्रक्रिया का विवरण व फ्लोशीट।
6. औद्योगिक योजना रिपोर्ट।

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु  
आवेदन का परिशिष्ट  
(Annexure to NOC Application)

<p>1. उद्योग का पूरा नाम व पता, श्रेणी एवं स्वभाव Name and Address. Category &amp; Type of Industry बृहद/मध्यम/लघु (जो लागू न हो काट दें) केमिकल/मैटालर्जिकल मैकेनिक/ इलेक्ट्रानिक इलेक्ट्रिकल/शुगर/सीमेन्ट/पल्प एवं पेपर/ टेक्सटाइल/फूड प्रोसेसिंग/ अन्य (जो लागू हो उसे चिन्हित करें। यदि अन्यत्र कोई हो लिखें।) Large/Medium/Small (Strike whichever is not applicable) Chemical/ Metallurgical/ Mechanical Electronics/ Electrical/Sugar/Cement/Pulp &amp; Paper/Textile Food Processing/ Others. (Tick whichever is applicable in Case of any other type mention it!)</p>	<p>INTEGRATED POLLUTION COMMITTEE (IPC) G-3/76, RAIL VIHAR, PHASE -I, CHARSAWAN, GORAKHPUR - 273409 (U.P.) SMALL SCALE INDUSTRIES</p>
<p>2. सामान्य/ General</p>	
<p>2.1 आवेदक का नाम एवं पता/ Name &amp; Address of Applicant</p>	<p>ANOOB PANDEY G-3/76, RAIL VIHAR, PHASE -I, CHARSAWAN, GORAKHPUR - 273409 (U.P.)</p>
<p>2.2 उद्योग का प्रस्तावित स्थल : (स्थल मानचित्र जमा करें) बिन्दु 2.3 पर वांछित सूचनाएँ दर्शाते हुये। Proposed Location (Attach location map of site Showing of point 2.3)</p>	<p>VILLAGE TALNAWAR, TAPPA AND PARSANA - HAWELI, TEHSIL - SAOAR, DISTRICT - GORAKHPUR (U.P.) KHASRA NO - 576 AND 577</p>
<p>2.3 स्थल से निकटतम हाईवे, सुरक्षित वन, रेलवे लाइन, नदी, नाला, धार्मिक स्थल, आबादी, अभयारण्य आदि की दिशा एवं दूरियों का विवरण (5 किलोमीटर की दूरी में) Details of direction and distance of nearest sanctuary, highway railway line, human settlements, river, drain, reserved forests religious places etc form the site (In a 5 km. distance)</p>	<p>GORAKHPUR TO VARANASI NH 29 RIVER - RAPT I (4 KM - APPROX)</p>

2.4	स्थल का वर्तमान भूप्रयोग : (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) कृषि/आवासीय/कामर्शियल/औद्योगिक Present use of land (enclosure certificate) Agricultural/ Residential/ Commercial/ Industrial	INDUSTRIAL
2.5	आशय पत्र/लघु उद्योग पंजीकरण का विवरण Details of letter of intent/SSI Registration	REGISTRATION CERTIFICATE FROM "DISTRICT INDUSTRIES CENTER, GORAKHPUR" AND CERTIFICATE OF "SOCIETY REGISTRATION" FROM REGISTRAR OF SOCIETY, GORAKHPUR (U.P.)
2.6	उत्पादन प्रक्रिया का फ्लोचार्ट एवं विवरण Brief process description with flow chart	ATTACHED
2.7	मुख्य उत्पादों की सूची एवं दैनिक क्षमता List of main products with daily designed capacity	BIO MEDICAL WASTE TREATMENT, 100 kg/Hr. DOUBLE CHAMBERED INCINERATOR WITH TEMPERATURE IN PRIMARY CHAMBER $200^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$ AND SECONDARY CHAMBER $1050^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$ , AUTOCLAVE 200kg/ Batch, SHREDER 50kg/Hr.
2.8	सह उत्पादों की सूची एवं दैनिक क्षमता List of bye products with daily designed capacity	NA
2.9	मुख्य कच्चे माल को दैनिक खपत की सूची List of Basic raw material with daily consumption	BIO MEDICAL WASTE
2.10	उद्यमी अथवा भागीदारों की कार्यरत अन्य सह इकाइयों की सूची List of other industrial units operated by applicant or its partners.	NA
2.11	परियोजना की कुल लागत Capital cost of project	Rs. 97.27 Lacs.
2.12	इकाई में उत्पादन की तिथि Expected date of commissioning of plant	JULY 2013

3. जल प्रदूषण/ Water Pollution		
3.1	<p>जल प्रदाय का स्रोत Source of Supply of water ट्यूबवेल/पालिका प्रदाय/नदी/झील/अन्य (विवरण दें) Tube well/Municipals Supply/River/ Lake/Other specification)</p>	TUBE WELL
3.2	<p>जल की दैनिक खपत Daily Consumption of water</p>	
	औद्योगिक प्रक्रिया/Industrial Process	
	औद्योगिक कूलिंग/Industrial Cooling	VENTURAY SCRUBBER (MAKE UP WATER) 400 LK/DAY
	ब्यायलर में प्रयोग/Boiler Blow Down	400 LTR/DAY
	फ्लोर एवं सयंत्र की धुलाई/Floor & Equipment washing	2000 LTR/DAY
	अन्य (स्पष्ट करें)/ Others (Specify)	NIL
	कुल योग/ Total	2800 LTR/DAY
	घरेलू प्रयोजन/ Domestic effluent	400 LTR/DAY
3.3	<p>प्रतिदिन निस्तारित उत्प्रवाह Total quantity of liquid effluents discharged per day.</p>	
	औद्योगिक प्रक्रिया/ Industrial Process	<p>1700 LTR/DAY AFTER TREATMENT THROUGH EFFLUENT TREATMENT PLANT. TREATED WATER WILL BE USED FOR GARDENING PURPOSE INSIDE FACTORY PREMISES. HENCE INDUSTRIAL EFFLUENT DISCHARGED IS NIL</p>
	औद्योगिक कूलिंग/ Industrial Cooling	
	ब्यायलर में प्रयोग / Boiler Blow Down	
	फ्लोर एवं सयंत्र की धुलाई/ Floor & Equipment washing	
	अन्य (स्पष्ट करें) / Others (Specify)	NIL
	कुल योग/ Total	1700 LTR/DAY
	घरेलू प्रयोजन/ Domestic effluent	320 LTR/DAY

3.4	क्या प्रदूषक तत्व जनित होंगे Are there any expected Pollutants. Yes/No	YES
3.5	प्रदूषक तत्वों का वर्ग द्रव/ठोस/गैसीय Type of Pollutants Liquid/Solid/gaseous	GASEOUS
3.6	उत्प्रवाह विशिष्टियों के सम्बन्ध में उपलब्ध विवरण निम्नवत किया जाये Indicate available information on effluent characteristic as below :	
	<b>भौतिक/Physical</b>	<b>रासायनिक / Chemical</b>
	तापमान / Temperature	कठोरता / Hardness
	पी. एच. / P.H.	बी ओ डी / B.O.D.
	कलर/Colour	सी. ओ. डी. / C.O.D.
	टर्बिडिटी / Turbidity	आयल एण्ड ग्रीस / Oil & Grease
	गंध / Obour	कुल नाइट्रोजन / Total Nitrogen
	कुल सालिड/ Total Solid	फास्फेट / (Phosphate)
	कुल निलम्बित सालिड /Total suspended solid	क्लोराइड / Chloride
	कुल वोलाटाइल सालिड / Total Volatile solid	सल्फेट / Soleplate
		सोडियम / Sodium
		पोटेशियम / Potassium
		कैल्शियम / Calcium
		मैग्नीशियम/ Magnesium
		अन्य / Other
	अन्य विषाक्त तत्व जैसे साइनाइड/फोनोल/भारी धातु इत्यादि/ Other toxic Constituents such as Cyanide/Phenol/Heavy Metals etc.	
3.7	क्या उत्प्रवाह मानको के अनुरूप जनित होगा/ Is the effluent to be generated within specifications हों/ नहीं, यदि नहीं तो प्रस्तावित शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण दें। संलग्नक Yes/No If no furnish details of treatment method proposed Enclosure .....	YES

AS PER NORMS PRESCRIBED BY  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

3.8	प्रस्तावित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का कार्यक्रम Proposed Time bound programme for Water Pollution Control System.	SUITABLE CAPACITY OF ETP WILL BE INSTALLED. DETAIL OF THE SAME IS ENCLOSED.
3.9	अन्तिम निस्तारण का माध्यम Mode of final discharge खुला नाला/बन्द नाला/लैगून Open drain/Closed drain/Lagoons	CLOSED DRAIN
3.10	अन्तिम निस्तारण बिन्दु Point of final discharge पालिका/सीवर सिस्टम/जल शरीत/भूमि (पूर्ण विवरण दें) अन्य Municipal corporation/sewage system/water bodies/field (specify)/Any other.	SOAK PIT FOR DOMESTIC EFFLUENT. INDUSTRIAL EFFLUENT AFTER TREATMENT WILL BE USED FOR GARDENING PURPOSES
3.11	क्या औद्योगिक उत्प्रवाह घरेलू उत्प्रवाह के साथ मिलकर निस्तारित होगा, यदि नहीं तो घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिन्दु स्पष्ट करें। Is industrial effluent allowed to mix with domestic effluent, if no specify disposal of domestic effluent.	NO. SEPTIC TANK AND SOAK PIT FOR DOMESTIC EFFLUENT
4.	<b>वायु प्रदूषण / Air Pollution</b>	
4.1	उत्प्रवाह हेतु प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी दैनिक मात्रा Type and quantity of fuel consumed per day in manufacturing or subsidiary process.	INCINERATOR - 25 LTR/HR. HSD AUTOCLAVE - 5 LTR/HR. HSD D-G-SET - 5 LTR/HR. HSD
4.2	ईंधन प्रयोग में जनित उत्सर्जन का विवरण Details of emissions form fuel combustion	AS PER NORMAL REG- SCRIBED BY U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
	अनुमानित / Expected	
	विश्लेषण / Analysis	
	मात्रा / Quantity	
	घनमीटर/घण्टा/M3/hour	
	अधिकतम्/न्यूनतम्/Maximum/Minimum	
4.3	सम्भावित प्रक्रिया, उत्सर्जन, स्रोत एवं मात्रा Expected process emissions sources quantity	
4.4	फ्लू गैस व प्रक्रिया, उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था {Proposed Air Pollution Control System for flue gas and process emission	CYCLONE TYPE DUST COLLECTOR DROPLET SEPARATOR AND VENTURY SCRUBBER WITH 30 METER HEIGHT OF CHIMNEY

4.5	प्रस्तावित डीजल जनरेटर सेट की क्षमता के.वी., में Capacity of Proposed Diesel Generating Set in K.V.A.	50 K.V.A. 1 Nos.
4.6	समस्त उत्सर्जन स्रोतों की ऊँचाई Height of all sources of emission	30 METER HEIGHT OF CHIMNEY WITH INCINERATOR AND 1.5 METER HEIGHT OF EXHAUST PIPE WITH D.G. SET FROM ROOF TOP OF THE BUILDING, CANOPY WILL ALSO BE INSTALLED WITH D.G. SET TO CONTROL NOISE
5.	<b>ठोस/अवशिष्ट/Solid/Waste</b>	
5.1	कुल दैनिक मात्रा Total Quantity per day	
5.2	अवशिष्ट की प्रकृति Nature of waste ठोस/सेमीसालिड/पाइडर/आयली/ज्वलनशील/दुर्गन्धयुक्त Solid/SemiSolid/Powder/Oily/Combustible/obourcus	SOLID INCINERATED ASH.
5.3	अनुमानित संरचना Approximate Composition	भौतिक/रसायनिक Physical/Chemical
5.4	खतरनाक Hazardous	हाँ/ नहीं Yes/No
5.5	निस्तारण माध्यम Mode of disposal	SAFE DISPOSAL OF INCINERATED ASH IN PUKKA R. C. C. TANK
6.	खतरनाक रसायनों के प्रयोग एवं भण्डारण का विवरण Details of use and storage of Hazardous materials	
	क्रम S.No.	N.A.
	रसायन Chemical	N.A.
	दैनिक खपत Daily Use	N.A.
	एक समय भण्डारण Storage at a time	N.A.

7-1 सुरक्षा उपायों एवं दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु योजना Plan for Safety and disaster management	ALL THE SAFETY MEASURES AND EQUIPMENTS WILL BE INSTALLED AS PER NORMS PRESCRIBED BY FIRE AND SAFETY DEPT.
--	---

दिनांक: 19.02.2013

*Anoop Pandey*

आवेदक का नाम ANOOP PANDEY

पता G-3/76, RAIL VIHAR, PHASE-I

CHARSAWAN, GORAKHPUR-273409

(U.P.)

नोट :

1. उपरोक्त बिंदुओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निर्धारित प्रपत्र के अन्त में दिया गया है।
2. तारांकित सूचनारयें, लघु श्रेणी के उद्योगों के लिए देना आवश्यक नहीं हैं।
3. त्वरित निस्तारण हेतु उपरोक्त सूचनाओं के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय एवं दो प्रति मुख्यालय प्रेषित करें।
4. अपूर्ण आवेदन पत्र सूचना एवं संलग्नकों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा।



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ANNEXURE-III

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

10

दिनांक 10/7/13

संदर्भ संख्या F-27364 / 11-6/NOL-159/गोमतीखण्ड/2013 दिनांक 10/7/13

सेवा में,

मेरे  
पर्यावरण संरक्षण विभाग,  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ,  
उत्तर प्रदेश

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में  
विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

११/१३

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 10/7/13 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

प्रति,

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल : गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश  
विभूति खण्ड, बी-ब्लाक  
पिकप भवन, तृतीय तल  
उत्तर प्रदेश

(ख) उत्पादन : पर्यावरण संरक्षण विभाग  
गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

.....  
**आवधिकारिक वेत**  
 .....

(घ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा : .....

.....  
**१००० लीटर/ दिन**  
 .....

(ङ) प्रयुक्त ईधन : .....

.....  
**२५ लीटर/ दिन**  
 .....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।



करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31. 8. 13 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए।

अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय  
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं.

/एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :  
.....  
.....
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :  
.....  
.....
4. ....  
.....

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल- )





## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या

/सी-6/सहमति जल/137/गोरखपुर/2016

दिनांक

6-10-16

संस्था में,

इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन कमेटी  
ग्राम-बाघागाड़ा,  
गोरखपुर।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। शर्त सहमति आदेश पत्रांक- 182/सी-6/सहमति (जल) आदेश 137/गोरखपुर/16 दिनांक- 01/10/16 संलग्न है। आपका ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने के प्रथम सप्ताह में अवश्य भेजें।
3. संस्था से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व मापक यंत्र लगाये एवं मापी गई सूचनाये समय-समय पर प्रेषित करें।
4. संस्था में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
6. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
7. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सन्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।
8. संस्था द्वारा प्रचलित समस्त पर्यावरण विधियों व अंतर्गत प्रतिपादित नियमों आदि का पूर्णतया ससमय अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
9. संस्था से जनित उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करके ही निस्तारित किया जाये।
10. उत्प्रवाह शुद्धिकरण के संचालन में खपत विद्युत तथा कैमिकल्स का लागवुक बनाया जाये।
11. संस्था द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पूर्ण उपचार करके ही निस्तारित किया जाये। जीव चिकित्सा अपशिष्ट को किसी भी दशा में अन्यत्र इधर उधर न डाला जाये।
12. संस्था के विरुद्ध प्रदूषण संबंधी शिकायतें प्राप्त होने एवं उसकी पुष्टि होने पर सहमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
13. शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पूर्णतया रिसाइकिल किया जाये एवं परिसर में ही सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाये। किसी भी दशा में नदी/नाले में निस्तारित न किया जाये।
14. उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित किया जाये।

14. उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित किया जाये।
15. हाऊस कीपिंग में सुधार किया जाये।
16. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन किया जाये।
17. संस्था द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित बैलेन्सशीट एक माह में प्रेषित किया जाए तदनुसार अवशेष शुल्क यदि वांछित है तो देय होगा।
18. संस्था का संचालन इस प्रकार किया जाएगा कि आस-पास के पर्यावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

(सहम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डा० राजीव उपाध्याय)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

पृष्ठ संख्या-

तददिनांक-

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ  
मात्र घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु  
वर्तमान समता के लिए

### फार्म XV सहमति आदेश प्रपत्र


संदर्भ संख्या/82/सी-6/जल सहमति आदेश/133/ओएनए/6 2016 लखनऊ, दिनांक-01-10-16

विषय: मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, (इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन कमेटी) ग्राम-बाघागाड़ा गोरखपुर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा-25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : सहमति जल आवेदन पत्र दिनांक 24-09-2016

- 1- जल राशि या (ड्रेन) में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, (इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन कमेटी) ग्राम-बाघागाड़ा गोरखपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके आद्योगिक बहिःश्राव को ई0टी0पी0 के माध्यम से सिंचाई/ड्रेन द्वारा सरिता/नदी में निस्तारित करने के लिए तथा घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित करने हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाता है।
- 2- यह सहमति दिनांक-24-10-2016 से दिनांक-31-12-2017 तक की अवधि के लिए मान्य है।
- 3- इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा-27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

  
(डा0 राजीव उपाध्याय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (दृत्त-6)

अनुलग्नक : संलग्नक 1  
(सहमति शर्तें)

: 2 :

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सहमति आदेश संख्या 182/सहमति(जल)/आदेश/27/लखनऊ/16 दिनांक 21/10/16 का संलग्नक

### सहमति शर्तें

- अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 


उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण	निस्तारण बिन्दु
(i) घरेलू	0.5 किली०/दिन	
(ii) औद्योगिक-	0.1 किली०/दिन	
- ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल/अन्तिम निस्तारण बिन्दु, उत्प्रवाह मापन तथा उत्वाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह अन्तिम निस्तारण बिन्दु/मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
- औद्योगिक उत्प्रवाह को शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
 

27° से 30 पर 3 दिन की बी०ओ०डी०	30 मिग्रा०/ली० से अधिक न हो।
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा०/ली० से अधिक न हो।
- सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों/पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
- शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने हेतु फ्लो मीटर वी-नाइ की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसकी लाग बूक मेन्टेन की जाये।

- 3 -

9. उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन में प्रयुक्त विद्युत मीटर की माप हेतु पृथक से विद्युत मीटर स्थापित कर उसकी लागत मेन्टेन की जाये उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन हेतु प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति की जाये।
10. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
11. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को मली भौंति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
12. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों (हेजार्डस अपशिष्ट को छोड़ कर मली भौंति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
  - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिवाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
  - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
  - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
13. हेजार्डस पदार्थों का विषेलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर स्टील ड्रम/पक्के टैंक में रखा जाये और फिर टी0एस0डी0एफ में भेजा जाए।
14. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/सयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो उत्प्रवाह का जनित होना तत्काल बन्द किया जाये तथा सुधार होने पर ही पुनः जनित कर ई0टी0पी0 के माध्यम से ट्रीट कर निस्तारित किया जाये।
15. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
16. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
17. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
18. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

19. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
20. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
21. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम चार माह पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
22. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
23. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
24. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोगिक स्थितियों या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
25. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
26. सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।  
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

  
 (डा० राजीव उपाध्याय)  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृष्ठ-6)



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

सी-6/वायु सहमति/137/गोरखपुर/2016

दिनांक

27/10/16

सेवा में,

इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन कमेटी  
ग्राम-बाघागाड़ा,  
गोरखपुर।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या 134/सहमति (वायु) आदेश 137/गोरखपुर/16 दिनांक 01-10-16 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन एवं रखरखाव इस प्रकार किया जाये जिसमें प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
3. संस्था का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायुमण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
4. संस्था द्वारा प्रचलित समस्त पर्यावरण विधियां व अंतर्गत प्रतिपादित नियमों आदि का पूर्णतया ससयम अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
5. ऑनलाइन स्टैक मानीटरिंग सिस्टम को राज्य बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जोड़ा जाये।
6. चिकित्सालयों से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट को पूर्ण उपचार करके ही निस्तारित किया जाये। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को किसी भी दशा में अन्यत्र इधर-उधर नहीं डलवाया जाये।
7. उत्सर्जन अनुश्रवण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर विलंबतम एक माह में प्रस्तुत करें।
8. कचरा सदान हेतु प्रयुक्त गाड़ी में जी0पी0एस0 को व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
9. कचरे को इंसीनिरेटर में सुचारु रूप से प्रयुक्त/जलाये जाने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष आपरेटर रखा जाये।

- 2 -

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डा० राजीव उपाध्याय)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

संदर्भ संख्या-

/ वायु प्रदूषण /

तद दिनांक-

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी० 12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 174/सी-6/सहमति (वायु) आदेश/137/गोरखपुर/2016 दिनांक-06-10-16

विषय: मैसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, (इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन कमेटी) ग्राम-बाघागाड़ा गोरखपुर को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

संदर्भ : सहमति वायु आवेदन पत्र दिनांक 24-09-2016

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति मैसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, (इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन कमेटी) ग्राम-बाघागाड़ा गोरखपुर को अपने सयंत्रों से सलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक-24-09-2016 से दिनांक-31-12-2017 तक की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

(डा० राजीव उपाध्याय)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

अनुलग्नक : संलग्नक 1  
(सहमति शर्त)

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या..... 174/ /सहमति (वायु)/आदेश/ 132/प्रदेश/16 दिनांक 06-10-16

### सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।


### सम्बद्ध चिमनी

- (i) इसीनिरिटर से भूतल से 30 मी०
2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
  - (i) सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 150 मिलीग्राम प्रतिनागल घनमीटर  
(एस०पी०एम०)
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में सशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।
6. बिन्दु-4, 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के चार माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन गतावरण में निर्धारित मानकों से अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
14. इकाई से आवादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से चार माह अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुरितका उपलब्ध करायी जाए।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पाटनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होने हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुन विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)



(डा० राजीव उपाध्याय)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010  
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. -  
185242/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTO/both/GORAKHPUR/20  
23

Dated : 05/07/2023

To ,

M/S DR PRANJAL PATEL

INTEGRATED POLLUTION COMMITTEE

Vill. Baghagada, Taal-Navartaal, Tappa Haveli, Pargana Bhauvapaar, Tahsil -Sadar, Dist.

Gorakhpur ,GORAKHPUR,

GORAKHPUR

**Sub :** Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 28/05/2023 and received on 28/05/2023 under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 06/06/2023 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

### Reasons :-

1. The double chamber incinerator, shredder and autoclave were installed in the unit, but the capacity of the same could not be verified due to absence of documents.
2. On the day (date-01.06.2023) of inspection, the automatic feeding arrangement temperature sensor, PLC control system in incinerator were not installed.
3. For increase in resident time in secondary chamber, no arrangement has been made till the date of inspection (date- 01.06.2023).
4. OCEMS is not installed at the final point of discharge of treated effluent.
5. The recycling arrangement of treated effluent is also not installed.

6. During inspection, the ramp for washing of vehicles and the arrangement to cater the polluted effluent generated from the same were incomplete.
7. Metal road is not established for movement of vehicles.
8. No separate energy meters were installed for operation of ETP and APCS.
9. The equipment installed in CBWTF are not meeting the criteria mentioned in revised guidelines for Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facilities.
10. During the inspection the ETP was found in decrepit condition.
11. The industry has not installed graphic or computer recording device with incinerator system.
12. The temporary storage of Bio Medical Waste was found in decrepit condition during inspection.
13. As per the RO inspection report dated 14.06.2023, a Village- Talanver having population about 1200 peoples is establish about 800 meters in East direction, a Village- Harharwa having population about 1500 peoples is establish about 700 meters in West direction, a Village- Bardaha Chauraha having population about 2500 peoples is establish about 250 meters in South direction, a Heritage Academy Inter College is establish about 800 meters in South-West direction, a Village- Baragara having population about 5500 peoples is establish about 400 meters and a SS Convent School is establish about 200 meters in North direction, a Village- Talanver (Lalta ka Tola) having population about 600 peoples is establish about 250 meters in South-East direction of the CBWTF. Hence it is clear from the aforesaid facts that now sensitive or residential features are became available within the 500 meter radius of the CBWTF, so as of now the site of the CBWTF is not suitable as per the Guidelines for the CBWTF made by the CPCB.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

**This order is issued with the approval of competent authority.**

**RAM  
KUMAR  
SINGH**

( Authorized Signatory )

Digitally signed by  
RAM KUMAR SINGH  
Date: 2023.07.05  
11:44:10 +05'30'

Chief Environmental Officer (Circle-6)

**Copy To -**

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur for information and necessary action

**Point wise compliance report of CCA condition of M/s Integrated Pollution Committee,  
Vill. Baghagada, Taal-Navartaal, Tappa Haveli, Pargana Bhauvapaar, Tahsil -Sadar,  
Dist. Gorakhpur.**

Sr. No	Condition of CCA	Compliance Status
1	The authorization shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.	Not Complied
2	The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB.	C.B.W.T.F. is non-operational
3	The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB.	Ownership of C.B.W.T.F. is disputed
4	Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.	C.B.W.T.F. is non-operational
5	It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB to close down the facility.	Not Complied
6	An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.	Not Complied
7	The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF&CC or CPCB/SPCB from time to time.	Not Complied
8	The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.	C.B.W.T.F. is non-operational
9	The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises	C.B.W.T.F. is non-operational & Display Board not installed
10	It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.	C.B.W.T.F. is non-operational
11	The applicant shall maintain record of hazardous waste in Form-3 and shall submit annual return in Form-4 on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates.	Not Complied
12	In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.	C.B.W.T.F. is non-operational
13	Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of	Not Complied

	hazardous waste sample and report to the Board.	
14	Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.	Not Complied
15	The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and 'Hazardous' shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.	Not Complied
16	The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors	Not Complied
17	In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous and Other Wastes Rules, 2016 shall be submitted to the Board.	Not Complied

### General Condition:

Sr. No	Condition of Consent	Compliance
1	The applicant shall get analyzed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF&CC and shall report to the UPPCB.	Not Complied
2	The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.	C.B.W.T.F. is non-operational
3	Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.	Not Complied
4	The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.	Not Complied
5	The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof	Complied
6	The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.	Complied
7	The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.	Not Complied
8	Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards	Not Applicable

	laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.	
9	The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.	C.B.W.T.F. is non-operational during the visit
10	In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority	C.B.W.T.F. is non-operational
11	The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point	Not Complied
12	The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.	Need no compliance report

### Specific Condition:

Sr. No.	Condition of CCA	Compliance
1	This consent is valid for CBWTF at BAGHAGARATAAL - NAWARTOLA, TAPPA HAWELI, PARGANA - BHAWAPAR, TEHSIL - SADAR, GORAKHPUR by M/s Integrated Pollution Committee having plant-Incinerator (100 kg/hr), Autoclave (200 kg/batch) and Shredder (50 kg/hr).	Complied
2	The CBWTF shall submit the flue gas monitoring report from incinerator and treated effluent quality report from the ETP after commissioning of CBWTF within 01 month from the issuance of this CTO	Not Complied
3	This CTO shall only be valid with the effect from the date on which the proponent obtained TSDF Membership for the safe disposal of hazardous waste.	MOU has been made with TSDF on 20.08.2023.
4	The proponent could not start operation of CBWTF before obtaining membership of TSDF, failing which this CTO would deem void.	As above
5	Separate Energy meter shall be installed for recording the electricity consumption in the operation of the ETP and a log book be maintained	Complied
6	ETP shall be operated and maintained to ensure that the treated effluent	C.B.W.T.F. is non-operational

	shall meet the prescribed standards.	
7	Proper and regular operation of GPS equipments, installed in all the vehicles plying to collect and transport Bio Medical Waste, shall be ensured.	C.B.W.T.F. is non-operational.
8	The CBWTF shall submit the valid NOC from U.P. Ground Water Board for Abstraction of Ground Water within 03 months failing which this CTE would be deemed cancel.	Not Complied
9	CBWTF will strictly comply with the CPCB guidelines dated 21.12.2016 for operation of the Common Bio Medical Waste Treatment Facility.	Not Complied
10	CBWTF will comply with the emission Standard for treatment and disposal of Common Biomedical waste by incineration as per Schedule-II of BMW Rules 2016. Transportation and handling of Bio-medical Wastes shall be as per the Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, 2016.	C.B.W.T.F. is non-operational.
11	Record w.r.t. operational parameter of autoclave such as temperature, pressure etc. as well as records for validation test conducted to check efficiency of autoclave shall be maintained.	Not Complied
12	The incinerator is operated in accordance with Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 w.r.t. maintenance of temperature for primary and secondary chamber of incinerator.	C.B.W.T.F. is non-operational.
13	The water generated from scrubbing system of incinerator shall be treated through ETP and treated water shall be recycled for scrubbing purpose and for irrigation in the premises. No effluent shall be discharged directly or indirectly outside the premises.	C.B.W.T.F. is non-operational
14	Discarded medicine will be disposed in incinerator as per BMW Rule, 2016 and sharp pit shall be provided for disposal of waste sharp as per CPCB Guidelines.	C.B.W.T.F. is non-operational
15	The CBWTF will comply with the Bio Medical Waste Management Rules 2016 and annual report shall be submitted.	Annual report has been submitted to UPPCB on 20.06.2024.
16	The CBWTF will comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016.	Not Complied
17	The facility will ensure bar coding system to be adopted by member of healthcare facility in accordance with Bio Medical Waste Management Rules 2016.	C.B.W.T.F. is non-operational
18	The CBWTF will comply with the Guideline of CPCB and will only cater to beds which are in addition to 10,000 beds admissible to pre-existing CBWTFs located within 75 km radius.	Complied
19	CBWTF will comply with the relevant provisions of Environmental Laws.	C.B.W.T.F. is non-operational

20	Latest attested copy of Balance sheet/Audited C.A. Certificate indicating (Fixed Assets + Current Assets- Current Liabilities) for the financial year 2018-2019 should be submitted to verify the consent fee payable by the industry	Not Complied
21	All Non-Chlorinated plastic Bags shall be used as per BIS standards and prevailing Plastic Waste Management Rules, 2016.	C.B.W.T.F. is non-operational
22	The wastes must be safely collected in leak proof containers and shall be duly marked in a manner suitable for handling, storage and transport and the packaging shall be easily visible and be able to withstand physical conditions and climatic factors. All hazardous waste containers / bags shall be provided with a general label. The storage area should be at an isolated spot in the premises and must be fenced, covered and duly marked.	C.B.W.T.F. is non-operational
23	The authorized person/agency shall ensure that no adverse impact on the air, soil and water including groundwater takes place due to activities for which authorization has been requested. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wastes and the staff must be properly trained.	C.B.W.T.F. is non-operational
24	It is brought to your notice that as per the order dated 14-11-2003 passed by the Hon'ble Supreme Court in W.P. (c) No. 657 of 1995, no industry covered under Hazardous and other Wastes (Management and Tran boundary Movement) Rules, 2016 shall be allowed to operate without valid authorization. It is also provided in the same orders that industries which are not complying with the conditions of authorization shall not be allowed to operate. Hence in case you fail to apply for authorization, before its expiry or fail to comply with conditions of the earlier authorization issued to you, closure order shall be issued against your industry without any further notice.	C.B.W.T.F. is non-operational
25	The applicant must file returns on prescribed Form- 4 along with a compliance report of this letter and should also maintain records on Form 3 and present it to Board's inspecting officials.	Not Complied
26	In case of occurrence of an accident, complete details on form must be sent to U.P. Pollution Control Board at the earliest along with details of mitigate and remedial measures taken.	C.B.W.T.F. is non-operational
27	The authorized person/agency shall not receive, collect, or store any hazardous waste from any unauthorized occupier or generator of hazardous wastes. In case any hazardous wastes is sold to any other reprocessing unit it must be ensured that such unit is fully complying with environmental requirements and has a valid authorization of the Board.	C.B.W.T.F. is non-operational
28	In no case any hazardous wastes shall be disposed off on land, in any drain or stream. All spillages of hazardous chemicals, used containers, of hazardous chemicals such as flammable corrosive, explosive and	Complied

	toxic nature must be safely collected and stored. Non-compatible wastes must be suitably and safely handled.	
29	It is within the powers and functions of the U.P. Pollution Control Board to modify / revoke the terms and conditions of the authorization/Registration issued under the Rule – 7 of Hazardous and Other Wastes (Management and Tran boundary Movement) Rules, 2016.	Need no compliance report
30	You are directed to display on-line data/display board outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emission and solid hazardous waste generated within the factory premises. Necessary compliance should be sent within 15 days of receipt of this letter.	Not Complied
31	It is the mandatory duty of the authorized person/agency to comply with the guidelines for transportation of hazardous waste in accordance with rule 18 of Hazardous and Other Waste (Management and Tran boundary Movement) Rules, 2016.	C.B.W.T.F. is non-operational
32	It should be ensured that hazardous wastes shall be properly collected and packed in HDPE bags and then temporarily stored in a lined RCC tank/pit with suitable shed.	C.B.W.T.F. is non-operational
33	An ETP sludge test report of a laboratory approved under E.P. Act shall be submitted along with compliance of this letter of this office	Not Complied
34	Used oil will be sold only to recyclers registered with U.P. Pollution Control Board. The record shall be maintained.	Not Complied
35	The occupier, transporter and operator of a facility shall be liable for damages caused to the environment resulting due to improper handling and disposal of hazardous waste listed in schedule 1,2, and 3 and shall be liable to pay a fine as levied by the State Pollution Control Board under the rules.	C.B.W.T.F. is non-operational
36	Details of raw material (which is Hazardous waste) and product along with quantity shall be sent within a month.	C.B.W.T.F. is non-operational
37	You shall become the member of any common TSDF for S.L.F. which has been authorized by UPPCB and send the stored hazardous wastes for final disposal to the TSDF and report back to U.P.P.C.B. with the required manifesto (document of proof) within one/three month of this letter.	C.B.W.T.F. is non-operational
38	The unit shall ensure that H.W. is regularly sent to Authorized common TSDF and shall not store for more than 90 days in accordance with under rule 8 of HOWM Rules, 2016.	C.B.W.T.F. is non-operational
39	Copies of Hazardous Waste Manifest in Form-10 shall be sent regularly to UPPCB for each category of waste sent to TSDF/Incinerator.	Not Complied

40	This authorization/Registration is valid till the industry is having valid consent as per the provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.	Need no compliance report
41	The authorized actual user of hazardous and other wastes shall maintain records of hazardous and other wastes purchased in a passbook issued by the State Pollution Control Board along with the authorization.	Not Complied
42	The industry shall submit the colored photograph of display board within 15 days	Not Complied
43	A Bank Guarantee of Rs. 02 Lacs (Rs Two Lacs only) shall be submitted within 15 days including the above conditions from 01 to 43 which will be valid otherwise this consent to operate shall be deemed to be withdrawn.	Complied.
44	Closure order is issued by CPCB or UPPCB against any defaulting unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be from the date of issuance of closure order revocation, with additional conditions mentioned in the closure revocation order.	Need no compliance report
45	Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this CCA and attract action under the provision of Environment (Protection) Act, 1986.	Need no compliance report



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010  
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. -  
197671/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTO/both/GORAKHPUR/20  
23

Dated : 23/01/2024

To ,

M/S DR PRANJAL PATEL  
INTEGRATED POLLUTION COMMITTEE  
Vill. Baghagada, Taal-Navartaal, Tappa Haveli, Pargana Bhauvapaar, Tahsil -Sadar, Dist.  
Gorakhpur ,GORAKHPUR, GORAKHPUR,  
GORAKHPUR

**Sub :** Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 14/12/2023 and received on 14/12/2023 under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 15/01/2024 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

**Reasons :-**

- 1.As per the proposal of the CBWTF, during inspection of RO dated 27.12.2023, filter press was not installed in the ETP and ETP was also not in operation during inspection.
- 2.The capacity of shredder and autoclave could not verify due to unavailability of related documents during inspection.
3. Automatic feeding system in incinerator has not been installed and temperature Control Sensor has not been installed till the date of inspection dated 28.12.2023.
4. PLC Control System has not been installed in the incinerator till the date of inspection dated 28.12.2023.
5. Online Continuous Emission Monitoring System which is installed in stack but same is not connected with server of CPCB till the date of inspection dated 28.12.2023.
- 6.No graphic or computer recording device was found attached with incinerator till the date of inspection dated 28.12.2023.
- 7.No measuring devices were installed at the inlet and outlet of ETP till the date of inspection dated

28.12.2023.

8.The unit has not furnished the compliance report w.r.t last CTO issued under Air/Water Act and also unit has not obtained authorization under HWM Rules.

9.The CBWTF is not meeting the Guidelines for Monitoring Compliance of Common Biomedical Waste Treatment Facilities by State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees prepared by CPCB.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

**This order is issued with the approval of competent authority.**

RAM ( Authorized Signatory )  
 Digitally signed  
 by RAM KARAN  
 Date: 2024.01.23  
 Chief Environmental Officer  
 17.06.506+05'30'

**Copy To -**

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur for information and necessary action

RAM  
 Digitally signed by  
 RAM KARAN  
 Date: 2024.01.23  
 Chief Environmental Officer  
 17.06.506+05'30'  
 ( Authorized Signatory )



## मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली (Lifestyle For Environment) जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन टोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | बेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकिलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- धरेलू स्तर पर कम से कम टोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाङ्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कुटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010  
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. -  
205099/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTO/both/GORAKHPUR/20  
24

Dated : 28/05/2024

To ,

M/S DR PRANJAL PATEL  
INTEGRATED POLLUTION COMMITTEE  
Integrated Pollution Committee Vill- Baghagada, Taal- Navartaal, Tappa Haveli, Pargana  
Bhauvapaar, Tahsil Sadar, Gorakhpur, GORAKHPUR,  
GORAKHPUR

**Sub :** Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 24/03/2024 and received on 24/03/2024 under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 30/04/2024 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

### Reasons :-

1. CBWTF was found operational during Regional Office, Gorakhpur inspection dated 06.04.2024, in which they have reported that during inspection it appeared from the plant that the plant has been operated only for inspection.
2. It is also mentioned in the above inspection report that many people's have sent letters to the Regional Officer, UPPCB, Gorakhpur to establish their ownership towards this CBWTF, hence the ownership of this CBWTF seems to be disputed.
3. The capacity of incinerator, shredder and autoclave could not verify due to unavailability of related documents during inspection and the temperature in primary, secondary chamber were not maintained also.
4. PLC Control System has not been installed in the incinerator till the date of inspection dated 06.04.2024.

5. Online Continuous Emission Monitoring System which is installed in stack but same is not connected with server of CPCB till the date of inspection dated 06.04.2024.

6. No measuring devices were installed at the inlet and outlet of ETP till the date of inspection dated 06.04.2024.

7. The unit has not furnished the compliance report w.r.t last CTO issued under Air/Water Act.

8. The sample of effluent from the outlet and inlet of ETP were collected on 05.04.2024 and deposited in RO lab for analysis. As per the analysis report, the result of the parameter was found almost same w.r.t inlet and outlet, hence it is evident from the analysis report that ETP was not operated and made operational only for inspection.

9. No graphic or computer recording device was found attached with incinerator till the date of inspection dated 06.04.2024.

10. The CBWTF is not meeting the Guidelines for Monitoring Compliance of Common Biomedical Waste Treatment Facilities by State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees prepared by CPCB.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

**This order is issued with the approval of competent authority.**

GHAN SHYAM  
 Digitally signed by GHAN SHYAM  
 Date: 2024.05.28 14:57:10 +05'30'  
 Chief Environmental Officer (Circle-6)

**Copy To -**

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur for information and necessary action

GHAN SHYAM  
 Digitally signed by GHAN SHYAM  
 Date: 2024.05.28 14:57:31 +05'30'  
 Chief Environmental Officer (Circle-6)  
 ( Authorized Signatory )



## मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली (Lifestyle For Environment) जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन टोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | बेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकिलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- धरेलू स्तर पर कम से कम टोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाङ्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कुटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010  
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

**Category : RED**

**Application Id : 26710230**

**Ref No. -**

**Dated : 21/08/2024**

**212400/UPPCB/Gorakhpur(UPPCBRO)/CTO/both/GORAKHPUR/2024**

**To ,**

M/S DR PRANJAL PATEL

INTEGRATED POLLUTION COMMITTEE

Integrated Pollution Committee Vill- Baghagada, Taal- Navartaal, Tappa Haveli, Pargana

Bhauvapaar, Tahsil Sadar, Gorakhpur, GORAKHPUR,

GORAKHPUR

**Sub :** Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 08/06/2024 and received on 08/06/2024 under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 29/07/2024 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

**Reasons :-**

1. UPPCB, Gorakhpur Vide inspection report dated 22.07.2024 and 13.08.2024, has informed that many people's have sent letters to the Regional Officer, UPPCB, Gorakhpur to establish their ownership towards this CBWTF, hence the ownership of this CBWTF seems to be disputed.
2. The capacity of incinerator, shredder and autoclave could not verify due to unavailability of related documents during inspection dated 13.08.2024.
3. PLC Control System has not been installed in the incinerator till the date of inspection dated 13.08.2024.
4. No measuring devices were installed at the inlet and outlet of ETP till the date of inspection dated 13.08.2024.

5. The unit has not furnished the compliance report w.r.t last CTO issued under Air/Water Act.
6. No graphic or computer recording device was found attached with incinerator till the date of inspection dated 13.08.2024.
7. The temporary storage of the bio medical waste is not adequate as per the BMW Rules/Guideline formed by CPCB.
8. The land lease agreement has been expired on January, 2024 and same is not renewed till the date of inspection dated 13.08.2024.
9. The filter press has not been installed in the ETP of the CBWTF till the date of inspection dated 13.08.2024.
10. The CBWTF is not meeting the Guidelines for Monitoring Compliance of Common Biomedical Waste Treatment Facilities by State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees prepared by CPCB.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

**This order is issued with the approval of competent authority.**

**Rajendra Singh**  
(Authorized Signatory)  
 Digitally signed by Rajendra Singh  
 Date: 2024.08.21 15:32:55 +05'30'

Chief Environmental Officer (Circle-6)

**Copy To -**

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur for information and necessary action.

**Rajendra Singh**  
(Authorized Signatory)  
 Digitally signed by Rajendra Singh  
 Chief Environmental Officer (Circle-6)  
 Date: 2024.08.21 15:33:15 +05'30'



## मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली (Lifestyle For Environment) जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन टोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | बेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकिलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- धरेलू स्तर पर कम से कम टोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाङ्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कुटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H.13410/सी-6/सहमति जल-148/का0ब0नो0/गोरखपुर/2024

दिनांक 02/05/24

पंजीकृत

मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्युशन कमेटी (आई0पी0सी0).

ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली,

परगना-भौवापार, तहसील-सदर,

गोरखपुर।

मी० त० 8795886699

यह कि मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्युशन कमेटी (आई0पी0सी0), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जो जैव धिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है।

यह कि संदर्भित सीबीडब्ल्यूटीएफ मेसर्स मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्युशन कमेटी (आई0पी0सी0), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर का निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय झाप दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा दिनांक 05.04.2024 को किया गया। समिति की आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत हैं :-

2. इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई विगत 3-4 माह से बन्द है किन्तु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा प्लाण्ट एवं ईटीपी का संचालन निरीक्षण से कुछ समय पहले ही किया गया था।
4. इकाई में स्थापित इन्सीनिरेटर में इन्सीनरेबल बायोमेडिकल वेस्ट के भस्मन से जनित गैसीय उत्सर्जन एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेन्दुरी स्कबर एवं भू-तल से लगभग 30 मी० ऊँची एमएस स्टेक स्थापित है। निरीक्षण के दौरान उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था बन्द पायी गयी।
5. इकाई में फ्लोर वाशिंग, वैहिकल टायर वाशिंग प्लेट फार्म एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था (स्कबर) से जनित वेस्ट वाटर के शोधन हेतु 10 केएलडी क्षमता का उत्प्राह शुद्धिकरण संयंत्र (ईटीपी) स्थापित है। इकाई में स्थापित ईटीपी निरीक्षण के दौरान ही संचालित किया जाना परिलक्षित हो रहा था।
6. निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईटीपी के इनलेट एवं आउटलेट से उत्प्राह नमूने एकत्रित किये गये। उक्त नमूने का विश्लेषण क्षेत्रीय प्रयोगशाला उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से कराया गया। विश्लेषण आख्या दिनांक 18.04.2024 बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गई।
10. निरीक्षण के दौरान इकाई का संचालन एवं रख-रखाव तथा इकाई में हाउस कीपिंग सन्तोषजनक नहीं पाया गया।
11. सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. इकाई वर्तमान में बिना राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति तथा हैजार्डस वेस्ट अथराइजेशन प्राप्त किए संचालित है।

यह कि उपरोक्त वर्णित समिति की आख्या में संदर्भित सीबीडब्ल्यूटीएफ मेसर्स मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्युशन कमेटी (आई0पी0सी0), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

यह कि सीबीडब्ल्यूटीएफ मेसर्स मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्युशन कमेटी (आई0पी0सी0), ग्राम-बाघागाड़ा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर द्वारा राज्य बोर्ड से दिना संचालनार्थ सहमति एवं प्राधिकार प्राप्त किये संचालन किया जा रहा है, जो जल/वायु अधिनियमों एवं जैव धिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि सीबीडब्ल्यूटीएफ के संचालन को रोका जाये।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@unpcb.com Web Site: www.unpcb.com


अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 धारासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके सीबीडब्ल्यूटीएफ के विरुद्ध निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि क्यों न आपके सीबीडब्ल्यूटीएफ मेसर्स मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्युशन कमेटी (आईपीओसीओ), ग्राम-बाघागाडा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि यह आपके सीबीडब्ल्यूटीएफ मेसर्स मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्युशन कमेटी (आईपीओसीओ), ग्राम-बाघागाडा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न माननीय एनओजीटीओ, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुसार सीबीडब्ल्यूटीएफ मेसर्स मेसर्स इन्टीग्रेटेड पाल्युशन कमेटी (आईपीओसीओ), ग्राम-बाघागाडा, तालनवर टोला, तप्पा-हवेली, परगना-भौवापार, तहसील-सदर, गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 05.04.2024 से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।


उक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में सीबीडब्ल्यूटीएफ के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कूर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं सीबीडब्ल्यूटीएफ एवं सीबीडब्ल्यूटीएफ स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उओप्रओ विद्युत वितरण खण्ड, गोरखपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
(वृत्त-6)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937

No. 887]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

का.आ. 1142(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता से छूट के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 7(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(घ)(क)	जैव-चिकित्सा (बायो-मैडिकल) अपशिष्ट उपचार सुविधाएं		सभी परियोजनाएं	

[फा.सं.3-9/2014-आईए.III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं.का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार पश्चात्तवर्ती संशोधन किए गए:—

1. का.आ.1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ.3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ.695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ.2893(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;

5. का.आ.674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ.2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.आ.2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
8. का.आ.562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014
9. का.आ.637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
10. का.आ.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
11. का.आ.2601(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
12. का.आ.3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
13. का.आ.382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
14. का.आ.811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; और
15. का.आ.996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2015

**S.O.1142(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in the Schedule, after item 7(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*7(da)	Bio-Medical Waste Treatment Facilities	-	All projects	-

[F. No. 3-9/2014-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007
2. S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009
3. S.O.695(E) dated the 4th April, 2011
4. S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012
5. S.O.674(E) dated the 13th March, 2013
6. S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013
7. S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013
8. S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014
9. S.O.637(E) dated the 28th February, 2014
10. S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014
11. S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014
12. S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014
13. S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015
14. S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015
15. S.O. 996(E) dated 10th April, 2015.